संख्या-भा0स0-219/81-7-2024-09 (रिट) /2016 टी0सी0-3

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/गृह/ऊर्जा/
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/कृषि/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/
लोक निर्माण/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन/
खाद्य एवं रसद/श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- **चेयरमैन,**
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण, नई दिल्ली।

3- **प्रधान मुख्य वन संरक्षक और**
विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

4- **मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी।

5- **प्रबन्ध निदेशक,**
पश्चिमांचल विद्युत वितरण
निगम लि0, मेरठ।

6- **मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
नोएडा पावर कम्पनी लि0,
ग्रेटर नोएडा।

7- **प्रबन्ध निदेशक,**
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

8- **निदेशक,**
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ।

9- **जिलाधिकारी,**
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर,
बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़,
मेरठ, शामली एवं मुजफ्फरनगर।

10- **मण्डलायुक्त,**
मेरठ, सहारनपुर।

11- **नगर आयुक्त,**
नगर निगम, मेरठ एवं
गाजियाबाद।

12- **निदेशक,**
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

13- **सदस्य सचिव,**
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

14- **अधिशाषी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद/नगर
पंचायत, बुलन्दशहर, बागपत,
हापुड़, मेरठ, शामली एवं
मुजफ्फरनगर।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः** 04 **दिसम्बर, 2024**

विषय-Compliance of Hon'ble Supreme Court's Orders dated 25th and 28th November, 2024 in WP No. 13029 of 1985.

महोदय,

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग (सीएक्यूएम), नई दिल्ली के पत्र संख्या-110018/01/2021-CAQM, दिनांक 01.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 आयोग ने अपने पूर्व पत्रों के संदर्भ में एनसीआर क्षेत्र में Graded Response Action Plan (GRAP) के चरण III एवं IV के अन्तर्गत लागू किये गये प्रतिबंधों से समाज के ऐसे सभी प्रभावित वर्गों के लिए शमनकारी उपाय (mitigation action) करने हेतु निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये है :-

i. Directing the project proponents to provide for community kitchens using fuels as permitted in Delhi-NCR for the workers engaged in construction and demoiition, stone crushers, mining and associated activities in these sectors and other such affected sectors. such activities could also be tied up through social organizatrons and Non Governmental Organizations (NGOs) ;

ii. Directing the project proponents to make provisions for providing hot water to such workers engaged in aforementioned sectors through community heating arrangements using fuers as permitted in Delhi NCR;

iii. Considering the difficulties that the severe winter season poses to such economically weaker sections of the society, heaters or other warming accessories may be provided to them including in common spaces near their settlements;

iv. Ensuring that all Resident Welfare Associations provide heaters to the staff providing various services vtz. security, sanitation, horticulture and other miscellaneous services and also encouraging individual house owners to provide electric heaters to security/ other staff employed by them, to avoid open burning of bio-mass/ MSW;

उक्त के अतिरिक्त मा0 आयोग द्वारा वर्तमान संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दायरे को बढ़ाने पर विचार किये जाने की अपेक्षा की गयी है, ताकि ऐसे प्रभावित वर्गों को भी इसमें शामिल किया जा सके और ऐसे अन्य उपाय किए जा सकें, जो उचित समझे जायें।

2- अत: इस संबंध में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग (सीएक्यूएम), नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 01.12.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 आयोग के उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराया जाय।

एनसीआर जनपदों के जिलाधिकारीगण संबंधित संस्थाओं/विभागों से समन्वय करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 01.12.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में की गयी कार्यवाही की समेकित सूचना/अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को दिनांक 05.12.2024 के पूर्वान्ह

Scanned with OKEN Scanner

11:00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 आयोग को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त (ई-मेल से प्रेषित)।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को मा0 आयोग के उक्त पत्र दिनांक 01.12.2024 की छायाप्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समेकित रिपोर्ट शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुशांत शर्मा)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner